भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

भूमि संसाधन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1570

दिनांक 20.09.2020 को उत्तरार्थ

राष्ट्रीय पनधारा परियोजना

1570. श्री विनोद कुमार सोनकरः
डॉ. जयंत कुमार रायः
श्री राजा अमरेश्वर नाईकः
श्री भोला सिंहः
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देवः
डॉ. सुकान्त मजूमदारः

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मंत्रालय ने देश में समुदायों के लिए बढ़ते हुए संरक्षण परिणामों और कृषि उत्पादों में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय पनधारा परियोजना 'नीरांचल' आरंभ की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) निबंधन और शर्तों सहित विश्व बैंक द्वारा प्रदान की गई ऋण की राशि कितनी है;

(ग) नीरांचल परियोजना के विभिन्न घटकों और मुख्य विशेषताओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) इस परियोजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को निधियां आबंटित करने के लिए क्या मापदंड हैं;

(ङ) गत चार वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस परियोजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सहित राज्य-वार कितनी निधियां आवंटित और जारी की गई हैं;

(च) उक्त अवधि के दौरान इस परियोजना के माध्यम से लाभान्वित राज्यों का ब्यौरा क्या है; और

(छ) मंत्रालय द्वारा देश में पनधारा विकास के लिए अन्य क्या महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्री

(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (घ): जी हां। सरकार ने प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के वाटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई) को सहायता प्रदान करने के लिए तकनीकी सहायता परियोजना नामतः

'नीरांचल' राष्ट्रीय वाटरशेड परियोजना का वित्त पोषण करने के लिए विश्व बैंक के साथ दिनांक 14.01.2016 को एक करार किया था। इस परियोजना का कार्यान्वयन भूमि संसाधन विभाग में केंद्र स्तर पर और 9 राज्यों नामतः आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना में किया जाना था। इस परियोजना का कुल परिव्यय 2142.30 करोड़ रु. (357 मिलियन अमरीकी डॉलर) था, जिसमें से इस राशि का 50% अंतरराष्ट्रीय विकास एसोसिएशन (आईडीए) के वित्त पोषण में विश्व बैंक द्वारा दीर्घकालिक ऋण के रूप में मुहैया कराया जाना था। विश्व बैंक के साथ किए गए वित्त पोषण करार के अनुसार, इस परियोजना की समापन तिथि 31 मार्च, 2022 थी। तथापि, तकनीकी कारणों से विश्व बैंक ने दिनांक 22 जुलाई, 2019 से नीरांचल परियोजना को बंद कर दिया।

इस परियोजना के चार घटक नामतः (क) केंद्रीय संस्थागत और क्षमता संवर्धन (ख) राष्ट्रीय अभिनव कार्य सहायता (ग) सहभागी राज्यों में डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई कार्यान्वयन सहायता और (घ) परियोजना प्रबंधन और समन्वय थे। परियोजना के डिजाइन के अनुसार, सहभागी राज्यों में डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई कार्यान्वयन सहायता का घटक उपर्युक्त 9 राज्यों द्वारा कार्यान्वित किया जाना था जिसके लिए 85% परियोजना लागत का प्रावधान किया गया था। इस घटक के लिए केंद्र और राज्य के बीच वित्त पोषण की हिस्सेदारी पद्धति 60:40 थी।

(ङ) और (च): गत चार वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान परियोजना के तहत राज्यों को जारी निधियों के राज्य-वार ब्यौरे अनुबंध में दिए गए हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश नीरांचल परियोजना राज्य नहीं था, अतः उन्हें कोई निधि जारी नहीं की गई थी।

(छ): भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय देश में वर्षा सिंचित और अवक्रमित क्षेत्रों के विकास के लिए प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के वाटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई) का कार्यान्वयन कर रहा है।

*****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 20.09.2020 को पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 1570 के भाग (ड.) और (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

गत चार वर्षों और चालू वर्ष के दौरान नीरांचल राष्ट्रीय वाटरशेड परियोजना के तहत राज्यों को जारी निधियों का ब्यौरा

क्र.स.	राज्य	जारी निधियां (रु. करोड़ में)				
		2016-17	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**
1	आंध्र प्रदेश	3.64	0.50	0.00	0.00	0.00
2	छत्तीसगढ़	2.31	0.50	0.00	0.00	0.00
3	गुजरात	1.94	0.50	0.00	0.00	0.00
4	झारखंड	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
5	मध्य प्रदेश	2.41	0.50	0.00	0.00	0.00
6	महाराष्ट्र	2.28	0.50	0.00	0.00	0.00
7	ओड़िशा	1.27	0.50	0.00	0.00	0.00
8	राजस्थान	1.60	0.50	0.00	0.00	0.00
9	तेलंगाना	1.38	0.50	0.00	0.00	0.00
	कुल	**19.87**	**4.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

नोटः

सरकार द्वारा 'नीरांचल' परियोजना 2015-16 में अनुमोदित की गई थी। विश्व बैंक के साथ वित्त करार पर जनवरी, 2016 में हस्ताक्षर किए गए थे। यह परियोजना केवल 9 राज्यों में कार्यान्वित की गई थी।